अध्याय 1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

v/;k;&I

1- ljdkjh dEifu;k ,o lkfof/kd fuxek dk fogxkoykdu

iLrkouk

1-1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुये राजकीय पीएसयू की स्थापना व्यावसायिक गतिविधियों को सम्पादित करने के लिये की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में परिमित स्थान रखते है। अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार राजकीय कार्यरत पीएसयू ने 2013–14 के लिये ₹ 65,683.38 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। राज्य के कार्यरत पीएसयू ने अपने अद्यतन लेखों के अनुसार 2013–14 में कुल ₹ 12,223.08 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2014 को राजकीय पीएसयू में 0.82 लाख[1] कर्मचारी थे। राजकीय पीएसयू में छः विभागीय उपक्रम[2] (डीयू) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, परन्तु राजकीय विभागों के भाग हैं। इन डीयू से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षण राज्य की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) में सम्मिलित किये गयें हैं।

1-2 सारिणी संख्या 1.1 में दिए विवरणानुसार 31 मार्च 2014 को 126 पीएसयू थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध नहीं थी।

Lkkfj.kh la[;k 1-1

ih,l;w dk izdkj	dk;Zjr ih,l;w	vdk;Zjr ih,l;w[3]	;ksx
सरकारी कम्पनियाँ[4]	80	39	119
सांविधिक निगम	7	शून्य	7
;ksx	87	39	126

1-3 वर्ष 2013–14 के दौरान, एक कम्पनी, लखनऊ मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन समामेलित की गयी तथा एक कम्पनी साउथ इस्ट यू0 पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का निजीकरण कर दिया गया जो 16 दिसम्बर 2011 से प्रभावी है, जिसकी सूचना 2014 में दी गयी।

ys[kk ijh{kk vf/kns'k

1-4 सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी चुकता अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी चुकता अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी प्रकार के तालमेल द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है।

1-5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुरूप भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

---

[1] 56 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार। शेष 70 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

[2] आयुक्त, खाद्य एवं रसद; गर्वमेंट प्रेस; स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन्स; उप–निदेशक, पशुपालन; सिंचाई कार्यशालाएं और क्रिमिनल ट्राइब्स सेटेलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, कानपुर।

[3] अकार्यरत पीएसयू वे है जिन्होने अपने कार्य बन्द कर दिये हैं।

[4] 619–बी कम्पनियों सहित।

1-6 सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक सात सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के एकल लेखापरीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की लेखा परीक्षा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

jkT;dh; ih,l;w esa fuos'k

1-7 31 मार्च 2014 को, 126 पीएसयू (619–बी कम्पनियों सहित) में ₹ 1,56,906.28 करोड़ का निवेश था, जिसका विवरण सारिणी संख्या 1.2 में दिया गया है।

Lkkfj.kh la[;k 1-2

(₹ djksM+ esa)

ih,l;w dk izdkj	ljdkjh dEifu;ka			lkafof/kd fuxe			egk;ksx
	iwath	nh?kkZof/k _.k	;ksx	iwath	nh?kkZof/k _.k	;ksx	
कार्यरत पीएसयू	69141.97	84856.72	153998.69	610.73	1205.94	1816.67	155815.36
अकार्यरत पीएसयू	695.39	395.53	1090.92	.	.	.	1090.92
;ksx	69837-36	85252-25	155089-61	610-73	1205-94	1816-67	156906-28

lzksr% ih,l;w ls izkIr lwpuk;sa

राजकीय पीएसयू में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण ifjf'k"V&1-1 में दिया गया है।

1-8 31 मार्च 2014 को राजकीय पीएसयू में कुल निवेश का 99.30 प्रतिशत कार्यरत पीएसयू में तथा शेष 0.70 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयू में था। इस सकल निवेश में से 44.90 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 55.10 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2008–09 में ₹ 52,915.82 करोड़ से 296.52 प्रतिशत बढ़कर 2013–14 में ₹ 1,56,906.28 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में प्रदर्शित है।

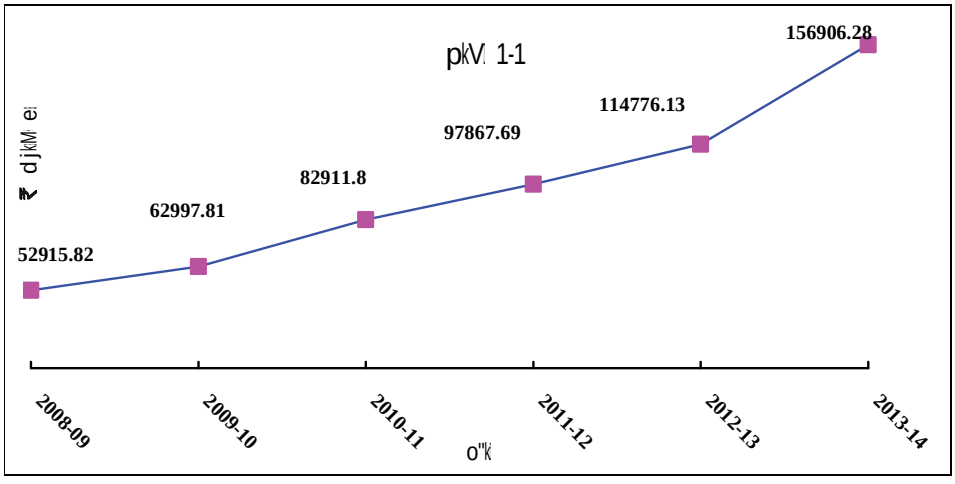

1-9 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2014 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट संख्या 1.2 में इंगित किये गये हैं। विगत छः वर्षों में पीएसयू में निवेश का मुख्य बल ऊर्जा क्षेत्र में था, जिसका प्रतिशत अंश 2008–09 में 87.14 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 में 95.76 प्रतिशत हो गया जबकि विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2008–09 में 6.77 प्रतिशत से घटकर 2013–14 में 2.28 प्रतिशत हो गया।

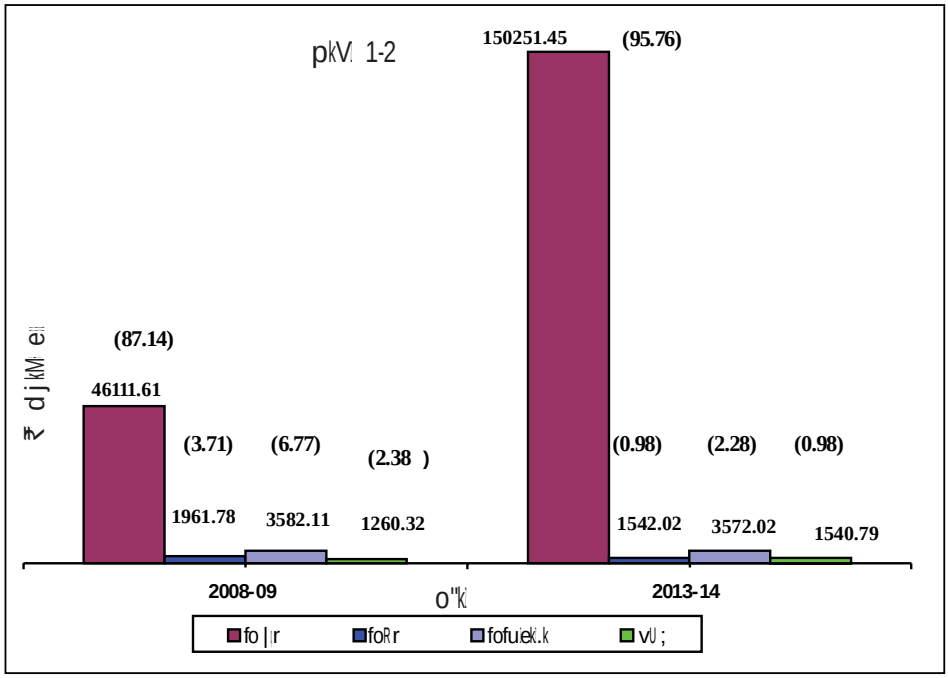

¼dk"Bdk d vk|dM d|y fuo'k ij {k= fuo'k dh ifr'krrk dk n'kkr g½

ctVh; cfgxeu] vunku@lfClMh] iR;kHkfr ,o _.k

1-10 राजकीय पीएसयू के सम्बन्ध में अँश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अंशपूंजी मे परिवर्तित ऋण, अपलिखित ऋण, ब्याज की माफी एवं निर्गत प्रत्याभूतियों के लिए बजटीय बहिर्गमन का विवरण ifjf'k"V&1-2 में दिया गया है। 2013–14 को समाप्त हुये तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण सारिणी संख्या 1.3 में दिया गया है।

Lkkfj.kh l[;k 1-3

¼₹ djkM e½

Øe l[;k	fooj.k	2011-12		2012-13		2013-14	
		ih,l;w dh l[;k	/kujkf'k	ih,l;w dh l[;k	/kujkf'k	ih,l;w dh l[;k	/kujkf'k
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	5	4325.50	5	2987.40	5	5324.42
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	11.85	3	25.18	6	123.80

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	10	3108.81	11	4104.95	7	2890.07
4.	dqy cfgxZeu ¼1$2$3½	**15**[5]	**7446.16**	**18**[5]	**7117.53**	**17**[5]	**8338.29**
5.	अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण	-	-	1	64.38	-	-
6.	ब्याज की माफी	-	-	1	425.44	-	-
7.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	4	1194.65	4	848.35	3	124.68
8.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	6	9578.49	9	9734.56	5	9120.15

lzksr% ih,l;w }kjk miyC/k djkbZ xbZ lwpukA

1-11 अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिये विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

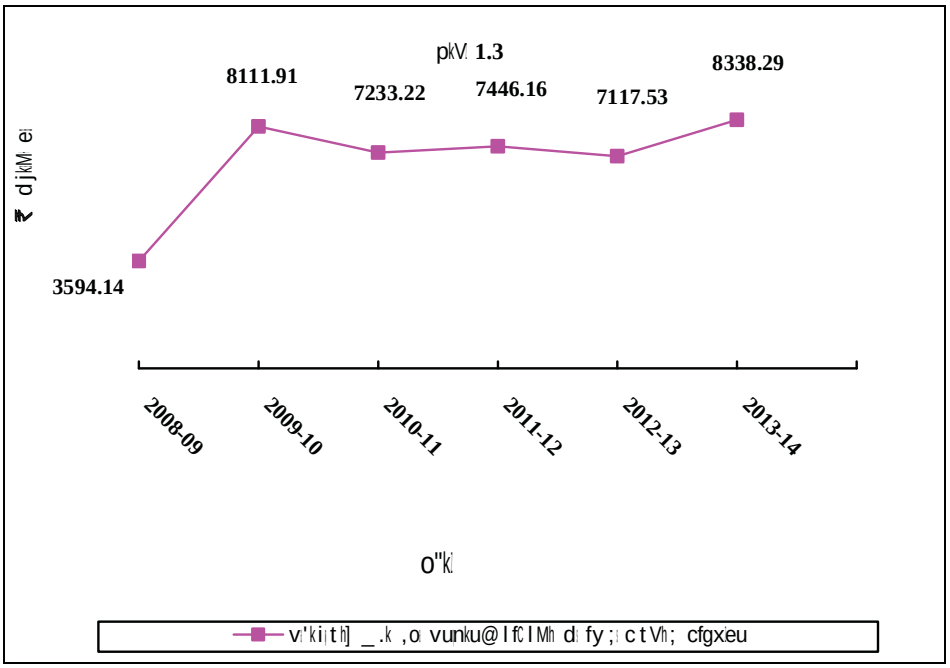

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–09 से 2013–14 की अवधि के दौरान राजकीय पीएसयू को अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन 2008–09 में न्यूनतम था। वर्ष 2013–14 में बजटीय बर्हिगमन ₹ 8,338.29 करोड़ था। अदत्त प्रत्याभूति की राशि 2011–12 में ₹ 9,578.49 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹ 9,734.56 करोड़ हो गयी लेकिन 2013–14 में घटकर ₹ 9120.15 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2014 को दो पीएसयू के द्वारा प्रत्याभूति कमीशन की देय राशि ₹ 1.44[6] करोड़ थी। वर्ष के दौरान, छः पीएसयू[7] ने ₹ 3.82 करोड़ प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया।

foÙkh; ys[kkvksa ds lkFk lek/kku

1-12 राजकीय पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अदत्त अंश पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिये। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिये। हमने 38 पीएसयू के सम्बंध में अन्तर पाया जिसका विवरण सारिणी संख्या 1.4 में वर्णित है:

---

5 यह पीएसयू की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जिनको बजटीय सहायता प्राप्त हुई। कुछ पीएसयू एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

6 दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू0 पी0 लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

7 ifjf'k"V&1-3 के क्रम संख्या अ–31, अ–33, अ–34, अ–35, अ–40 और अ–41।

Lkkfj.kh la[;k 1-4

¼₹ djksM+ esa½

vnÙk	foÙk ys[kksa ds vuqlkj jkf'k	ih,l;w ds vfHkys[kksa ds vuqlkj jkf'k	vUrj
अंश पूँजी	59032.58	57029.18	2003.40
ऋण	1276.26	1517.94	241.68
प्रत्याभूति	60505.46	9120.15	51385.31

lzksr% o"kZ 2013&14 ds fy, jkT; foÙk ys[kk rFkk ih,l;w }kjk miyC/k djkbZ xbZ lwpukA

हमने देखा कि कुछ अन्तरों का समाधान 2000–01 से लम्बित था। महालेखाकार द्वारा वित्त लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के आँकड़ों के मध्य अन्तर के समाधान न किये जाने के मामले को नियमित रूप से पीएसयू के साथ उनके द्वारा शीघ्र समाधान किये जाने हेतु उठाया गया। सरकार तथा पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाधान करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

ih,l;w dk dk;Z lEiknu

1-13 सभी पीएसयू के वित्तीय परिणाम ifjf'k"V&1-3 में वर्णित हैं। कार्यरत सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम क्रमशः ifjf'k"V 1-4 एवं 1-5 में वर्णित हैं।

1-14 अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार 87[8] कार्यरत पीएसयू में से, 28 पीएसयू ने ₹ 1,315.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 27 पीएसयू ने ₹ 13,538.11 करोड़ की हानि वहन की। सात कार्यरत पीएसयू[9] ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 पीएसयू 'न लाभ न हानि' माने गये हैं क्यूँकि इनके वित्तीय परिणाम ₹ एक लाख से कम हैं। लाभ में योगदान करने वालों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 456.75 करोड़), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 232.49 करोड़), उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 114.80 करोड़) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 111.19 करोड़) मुख्य थे। भारी हानि वहन करने वालों में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 3479.32 करोड़), दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,364.06 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,532.84 करोड़), पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,303.35 करोड़) तथा मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2033 करोड़) थे।

1-15 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के अद्यतन वर्ष की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यरत पीएसयू ने ₹ 339.80 करोड़ की हानि तथा ₹ 47 लाख का निष्फल निवेश वहन किया जो कि सुदृढ़ प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं।

Lkkfj.kh la[;k 1-5

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2011&12	2012&13	2013&14	;ksx
शुद्ध हानि	6489.58	12097.87	12223.08	30810.53
भारत के नियंत्रक–लेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानि	16879.05[10]	17170.08[11]	339.80	34388.93
निष्फलित निवेश	132.80	173.44	0.47	306.71

lzksr% ih,l;w ds v|ru vfUrehÑr ys[kk rFkk Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd ds v|ru ys[kk ijh{kk izfrosnuA

[8] 25 पीएसयू ने एक लाख से कम की शुद्ध लाभ/हानि अर्जित की, अतः इन पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ/हानि को ifjf'k"V&1-3 में इंगित नहीं किया जा सका जिसमें इंगित अंक ₹ करोड़ में हैं।

[9] ifjf'k"V&1-3 में क्रम संख्या अ–17, अ–45, अ–75, अ–77, अ–78, अ–79 एवं अ–80।

[10] ₹ 1,446.11 करोड़ मार्च 2012 तक वहन किया गया तथा ₹ 15,432.94 करोड़ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर आगामी 25 एवं 18 वर्षों में वहन किया जायेगा जैसा की 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) के प्रस्तर 3.4 एवं 3.6 में उल्लिखित है।

[11] ₹ 7404.28 करोड़ मार्च 2013 तक वहन किया गया तथा ₹ 12,256.46 करोड़ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर आगामी 22 वर्षों, 23 वर्षों 9 माह, 24 वर्षों एवं 25 वर्षों में वहन किया जायेगा जैसा की 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) के प्रस्तर 3.13 में उल्लिखित है।

1-16 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी उपरोक्त हानियाँ कार्यरत पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे कहीं अधिक होगी। उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से हानि को काफी कम किया जा सकता है।

1-17 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनायी थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी चुकता अँश पूँजी पर पाँच प्रतिशत का न्यूनतम प्रत्याय देना था। 28 पीएसयू ने उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1,315.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि आठ पीएसयू[12] ने ₹ 6.70 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने न्यूनतम लाभांश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति का अनुपालन नहीं किया।

ys[kkvksa dk yfEcr vfUrehdj.k

1-18 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के अनुसार होता है। सारिणी संख्या 1.6 30 सितम्बर 2014 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति को दर्शाती है।

Lkkfj.kh la[;k 1-6

Øe la[;k	fooj.k	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	60	83	83	85	87	87
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	46	98	59	66	84	41
3.	लम्बित लेखाओं की संख्या	197	182	206	234	228	274[13]
4.	प्रति पीएसयू औसत बकाया (पंक्ति 3/पंक्ति 1)	3.28	2.19	2.48	2.75	2.62	3.15
5.	लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू की संख्या	54	52	69	81	82	83
6.	लम्बित लेखाओं की अवधि	1 से 14 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 16 वर्ष	1 से 17 वर्ष	1 से 18 वर्ष

lzksr% ih,l;w dk v|ru vfUrehÑr ys[kkA

1-19 वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान प्रति कार्यरत पीएसयू लम्बित लेखाओं की औसत संख्या 2.19 से 3.28 के मध्य थी। 87 कार्यरत पीएसयू में से केवल चार पीएसयू ने वर्ष 2013–14 के अपने लेखों का अन्तिमीकरण किया जबकि सितम्बर 2014 को 83 पीएसयू के 274 लेखे एक से 18 वर्ष की अवधि से बकाया थे। लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू को लेखाओं को अद्यतन करने और बैकलॉग को दूर करने हेतु प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। पीएसयू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति वर्ष कम से कम एक वर्ष के लेखों को अन्तिमीकृत किया जाये ताकि लम्बित लेखाओं को संचित होने से रोका जा सके।

1-20 उपरोक्त के अतिरिक्त अकार्यरत पीएसयू के भी लेखाओं के अन्तिमीकरण लम्बित थे। 39 अकार्यरत पीएसयू में से 13[14] समापन की प्रक्रिया में थे जिनके 312 लेखे सात से

[12] ifjf'k"V&1-3 का क्रम संख्या अ–5, अ–6, अ–16, अ–23, अ–68, अ–70, अ–73 एवं ब–1।

[13] इसमें साउथ–ईस्ट यू0 पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का 2011–12 का एक लेखा सम्मिलित है जो कि दिनांक 16.12.2011 को निजी स्वामित्व में चली गयी।

[14] ifjf'k"V&1-3 का क्रम संख्या स–2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24 एवं 27।

39 वर्ष तक से लम्बित थे। शेष 26 अकार्यरत पीएसयू के 383 लेखे एक से 31 वर्ष की अवधि से बकाया थे।

1-21 जैसा कि ifjf'k"V&1-6 में दिया गया है, राज्य सरकार ने अद्यतन वर्ष के दौरान 17 ऐसे कार्यरत पीएसयू में ₹ 8338.29 करोड़ (अंश पूँजीः ₹ 5324.42 करोड़, ऋणः ₹ 123.80 करोड़, अनुदानः ₹ 1218.43 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 1671.64 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था। लेखाओं तथा उनकी पश्चात्वर्ती लेखा परीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही तरीके से लेखांकित किये गये थे तथा जिस उद्देश्य हेतु धनराशि निवेशित की गयी थी वह प्राप्त हुआ या नहीं । इस प्रकार ऐसे पीएसयू में सरकार का निवेश का प्रतिफल राज्य की विधायिका के जाँच के बाहर रहा। लेखाओं के अन्तिमीकरण में इस विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम हो सकता है।

1-22 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। महालेखाकार द्वारा लेखाओं के बकाया की स्थिति को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के संज्ञान में प्रत्येक तिमाही के अंत में लाया गया था। तथापि, कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप इन पीएसयू का लेखा परीक्षा द्वारा शुद्ध परिसमपत् निर्धारित न हो सका। लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने हेतु विशेष जोर दिये जाने या समयबद्ध रूप से लेखाओं के बकाये के बैकलॉग के दूर करने को इंगित करते हुए, लेखाओं के बकाया होने का विषय मुख्य सचिव/वित्त सचिव के संज्ञान में समय–समय पर लाया गया है।

okf"kd ifronu d iLrrhdj.k dh oLrfLFkfr

1-23 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए(3) के अनुसार, जहाँ राज्य सरकार किसी कम्पनी की सदस्य है, राज्य सरकार, कम्पनी के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों के साथ कम्पनी के कार्यकलापों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन उस वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), जिसमें लेखों को अंगीकृत किया गया हो, के तीन माह के भीतर विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विधान मण्डल को उन कम्पनियों के क्रियाकलापों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होता है जिसमें राज्य सरकार एक मुख्य अंशधारक है।

हमने पाया कि 30[15] कम्पनियों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों के साथ विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया है (सितम्बर 2014)।

vdk;jr ih,l; dk lekiu

1-24 31 मार्च 2014 को 39 अकार्यरत पीएसयू थे (37 सरकारी कम्पनियाँ तथा दो 619–बी सरकारी कम्पनियाँ)। इनमें से 13 पीएसयू समापन की प्रक्रिया में थे। अकार्यरत पीएसयू को बन्द कर देना चाहिए क्योंकि उनका बना रहना राज्य के वित्त कोष पर भार होता है। वर्ष 2013–14 में तीन[16] अकार्यरत पीएसयू ने स्थापना व्यय पर ₹ 2.40 करोड़ व्यय किये।

1-25 31 मार्च, 2014 को अकार्यरत पीएसयू की बन्दी के चरण सारिणी संख्या 1.7 में दिये गये हैं:

[15] ifjf'k"V &1-3 का क्रम संख्याः अ–1, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 72, 73, स–17, 26, 37 एवं 41।

[16] 39 अकार्यरत पीएसयू में से मात्र तीन पीएसयू (उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड – ₹ 14.94 लाख, घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड ₹ 220.06 लाख और उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड – ₹ 5.45 लाख) ने स्थापना व्यय की सूचना उपलब्ध करायी।

Lkkfj.kh l[;k 1-7

Øe l[;k	fooj.k	dEifu;k
1.	अकार्यरत पीएसयू की कुल संख्या	39
2.	उपरोक्त (1) में से पीएसयू की संख्या जो अन्तर्गत हैः	
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त) के अन्तर्गत	13
(ब)	ऐच्छिक समापन (समापक नियुक्त) के अन्तर्गत	–
(स)	बन्द अर्थात राज्य सरकार द्वारा बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	26

lzksr&ifjf'k"V vkQ dEifu;ksa }kjk nh x;h lwpukA

1-26 कम्पनियाँ जिन्होंने न्यायालय द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 10 से 33 वर्षों से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाने/अनुगमन करने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार, 26 अकार्यरत पीएसयू, जिनके अकार्यरत होने के बाद चालू रहने या न रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है। सरकार अकार्यरत कम्पनियों के समापन को त्वरित करने हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने पर विचार कर सकती है।

ys[kkvksa ij fVIif.k;ka rFkk vkUrfjd ys[kk ijh{kk

1-27 वर्ष 2013–14[17] में 33[18] कार्यरत कम्पनियों ने अपने 36 संप्रेक्षित लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से 29 कम्पनियों के 31 लेखे[19] अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुने गये। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा हमारी अनुपूरक लेखा परीक्षा, लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा हमारी टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरण सारिणी संख्या 1.8 में दी गई है।

Lkkfj.kh l[;k 1-8

(₹ djksM+ esa)

Øe l[;k	fooj.k	2011&12		2012&13		2013&14	
		ys[kkvksa dh l[;k	/kujkf'k	ys[kkvksa dh l[;k	/kujkf'k	ys[kkvksa dh l[;k	/kujkf'k
1.	लाभ में कमी	15	107.12	14	163.88	10	68.55
2.	हानि में वृद्धि	5	2165.60	21	1248.38	15	248.82
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	3	12.92	8	587.68	11	9057.64
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	5	7.42	1	0.07	3	255.37
	;ksx		2293-06		2000-01		9630-38

वर्ष 2012–13 से 2013–14 में टिप्पणियों का समग्र मौद्रिक मूल्य ₹ 2000.01 करोड़ से बढ़कर ₹ 9630.38 करोड़ हो गया।

[17] अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014।

[18] ifjf'k"V&1-3 का क्रम संख्याः अ–1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 68, 69, 70, 71, 72 एवं 73 तथा साउथ–ईस्ट यू0 पी0 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड।

[19] 4 कम्पनियों के 5 लेखे अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु नहीं चुने गये थे। इनको असमीक्षा प्रमाण पत्र जारी किये गये।

1-28 वर्ष के दौरान, 33 कम्पनियों द्वारा अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों ने 33 लेखों पर क्वालिफाईड प्रमाणपत्र, दो कम्पनियों[20] के दो लेखाओं पर एडवर्स प्रमाण पत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे सत्य एवं उचित स्थिति नहीं दर्शाते हैं) तथा एक लेखे[21] पर डिस्क्लेमर (जिसका अर्थ है कि अंकेक्षक लेखाओं पर कोई विचार नहीं बना सका) दिया। कम्पनियों द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा निर्गत लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 29 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 104 दृष्टान्त पाये गये।

1-29 वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनियों के अन्तिमीकृत लेखाओं के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:

mÙkj izns'k jkT; fo|qr mRiknu fuxe fyfeVsM ¼2011&12½

- अनपरा थर्मल पावर परियोजना के निर्माण के लिए भूमि मालिकों को मुआवजे के भुगतान हेतु प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप स्थायी सम्पत्तियों और अन्य दायित्वों को ₹ 35.58 करोड़ से कम बताया गया।

- कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2011–12 के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की बकाया राशि पर एक प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का न तो भुगतान किया और न ही प्रावधान किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 8 करोड़ से लाभ को अधिक बताया गया तथा वित्त लागत को कम बताया गया।

iwokZpy fo|qr forj.k fuxe fyfeVsM ¼2012&13½

कम्पनी ने महाकुंभ मेले के लिए बनाये गये सब–स्टेशन और सम्बन्धित लाइनों के कार्यों को पूँजीगत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप पूँजीगत कार्यप्रगति को ₹ 43.94 करोड़ से अधिक एवं स्थायी सम्पत्ति को उतने ही मूल्य से कम बताया गया।

dkuiqj fo|qr vkiwfrZ dEiuh fyfeVsM ¼2012&13½

निदेशक मण्डल द्वारा त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम योजना पर अस्वीकृत किये गये व्यय को पूँजीगत चालू कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के कारण वर्ष की हानि को ₹ 1.74 करोड़ से कम बताया गया।

e/;kapy fo|qr forj.k fuxe fyfeVsM ¼2012&13½

वर्ष के दौरान ₹ 234.55 करोड़ के पूरा कर दिये गये पूँजी कार्य को पूँजीगत चालू कार्य में दर्शाया गया। स्थायी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण/गैर–पूँजीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीगत कार्यप्रगति को ₹ 234.55 करोड़ से अधिक बताया गया और संचित हानि/मूल्य–ह्रास को वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 11.14 करोड़ को सम्मिलित करते हुए ₹ 35.92 करोड़ से कम बताया गया। इससे सम्पत्तियों को भी ₹ 198.63 करोड़ से कम बताया गया।

mÙkj izns'k jkT; oL= fuxe fyfeVsM ¼2012&13½

उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2003 में काशीपुर और जशपुर इकाइयों के ₹ 12.89 करोड़ के उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण को माफ कर दिया। कम्पनी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को प्रस्तुत किये गये संशोधित ड्राफ्ट पुनरूद्धार योजना में इसका उल्लेख किया किन्तु लेखाओं में इसका समायोजन नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों को ₹ 12.89 करोड़ से और हानियों को उसी राशि से अधिक बताया गया।

[20] उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड।

[21] उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड ।

;-ih- byDVªkfuD l fuxe fyfeVM ¼2012&13½

बन्द कम्पनी से सम्बन्धित संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप ऋणों एवं अग्रिमों को ₹ 1.69 करोड़ से अधिक एवं बुरे तथा संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को कम बताया गया।

1-30 इसी प्रकार, 2013–14[22] के दौरान पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने पाँच लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से तीन सांविधिक निगमों के तीन लेखे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा एकल लेखा परीक्षा से सम्बन्धित थे, सांविधिक अंकेक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा हमारी एकल/अनुपूरक लेखा परीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा हमारी टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी सारिणी संख्या 1.9 में दी गयी है।

Lkkfj.kh l[;k 1-9

¼₹ djksM+ esa½

Øe l[;k	fooj.k	2011&12		2012&13		2013&14	
		y[kkvksa dh l[;k	jkf'k	y[kkvksa dh l[;k	jkf'k	y[kkvksa dh l[;k	jkf'k
1.	लाभ में कमी	2	13.98	4	38.05	4	731.98
2.	हानि में वृद्धि	1	87.84	1	79.60	1	4.05

वर्ष के दौरान प्राप्त हुए पाँच लेखाओं में से, पाँच लेखाओं की लेखा परीक्षा पूरी की गयी थी। इनमें से तीन लेखाओं जिनके लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकल अंकेक्षक हैं, के लिए क्वालीफाइड प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये थे। शेष दो लेखाओं के लिए सांविधिक अंकेक्षक ने एक लेखा के लिए क्वालिफाईड प्रमाण पत्र एवं एक लेखा[23] के लिए एडवर्स प्रमाण पत्र दिया

1-31 सांविधिक निगमों के वर्ष 2013–14 के दौरान अन्तिमीकृत लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैः

mÙkj izns'k jkT; lM+d ifjogu fuxe ¼2012&13½

चेसिस की लागत जिनपर बस निर्माण अपूर्ण थे, को स्कन्ध की जगह स्थायी सम्पत्तियों में दिखाया गया। जिसके परिणामस्वरूप स्थायी सम्पत्तियाँ (वाहन) को अधिक तथा स्कन्ध को ₹ 14.85 करोड़ से कम बताया गया।

mÙkj izns'k ou fuxe ¼2012&13½

कम्प्यूटर नेटवर्किंग से सम्बन्धित ₹ 2.69 करोड़ के विंड इरोजन प्रेडिक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर (डब्ल्यू.ई.पी.एस.) को विकसित एवं स्थापित किया गया लेकिन स्थायी सम्पत्ति के अन्तर्गत 'अप्रयुक्त सम्पत्ति' में सम्मिलित किया गया। जिससे उक्त सम्पत्ति पर कोई मूल्य–ह्रास नहीं लगाया गया परिणामस्वरूप स्थायी सम्पत्तियों एवं वर्ष के लाभ को ₹ 1.61 करोड़ से अधिक बताया गया।

mÙkj izns'k jkT; Hk.Mkj.k fuxe ¼2012&13½

उपादान योजना के लिए जीवन बीमा निगम को देय प्रीमियम के लिए ₹ 13.48 करोड़ के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 13.48 करोड़ से चालू दायित्वों को कम और वर्ष के लाभ को अधिक बताया गया।

1-32 सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार की गयी लेखा परीक्षा के बाद अंकेक्षित कम्पनियों के आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा सहित विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है

---

[22] अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक।

[23] उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इम्पलाईज वेलफेयर कारपोरेशन (2011–12)।

तथा सुधार योग्य क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना होता है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा दी गयी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण सारिणी संख्या 1.10 में दिया गया है।

Lkkfj.kh l[;k 1-10

Øe l[;k	lkfof/kd vads{kdks dh fVIif.k;ksa dh izd`fr	dEifu;ksa dh l[;k ftuesa vuq'kalk dh x;h	ifjf'k"V&3 esa dEifu;ksa dh Øe l[;k dk lanHkZ
1.	स्कन्ध एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	18	अ-3, 5, 6, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 71, स-4, 17 एवं 31.
2.	कम्पनी के व्यवसाय के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का अभाव	20	अ-3, 5, 6, 7, 10, 11, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 68, 71, 72, 73 एव स -4, 17
3.	लागत लेखाओं के अभिलेखों का रख–रखाव न करना	9	अ-3, 5, 16, 29, 31, 34, एव स -4, 31, 17
4.	अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसे: संख्यात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, ह्रासित मूल्य तथा उनकी स्थिति को दर्शाते अभिलेखों का रख–रखाव न करना	20	अ-3, 7, 13, 16, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 68, 71, 72, 73 एव स -4, 17

lzksr% Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd }kjk fuxZr funs'kksa ds vuqikyu esa lkfof/kd vads{kd }kjk izLrqr foLr`r izfrosnuA

ys[kk ijh{kk }kjk bafxr djus ij olwyh

1-33 औचित्य लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबन्धन को ₹ 53.42 करोड़ की वसूली हेतु मामले इंगित किये गये थे, जिनमे से ₹ 5.01 करोड़ के मामले प्रबन्धन द्वारा स्वीकार किये गये तथा पीएसयू द्वारा वर्ष 2004–05 से 2013–14 से सम्बन्धित ₹ 4.23 करोड़ की वसूली वर्ष 2013–14 में की गयी थी।

iFkd ys[kk ijh{kk izfrosnuksa ds izLrqrhdj.k dh fLFkfr

1-34 निम्न सारिणी सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

Lkkfj.kh l[;k 1-11

Øe l[;k	lkfof/kd fuxe dk uke	o"kZ tgk¡ rd ,l,vkj fo/kkf;dk esa j[kh x;h	o"kZ ftudh ,l,vkj fo/kkf;dk ds le{k ugha j[kh x;h		,l,vkj dks izLrqr u djus dk dkj.k
			,l,vkj dk o"kZ	ljdkj dks fuxZr djus dh frfFk	
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2011–12	2012–13	06 जून 2014	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12	20 मई 2011 13 अप्रेल 2012 27 अगस्त 2012 16 सितम्बर 2013	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3.	उत्तर प्रदेश वन निगम[24]	--	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13	9 मार्च 2011 16 नवम्बर 2011 21 सितम्बर 2012 11 जुलाई 2013 6 जून 2014	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

[24] उत्तर प्रदेश वन निगम ने उत्तर प्रदेश फारेस्ट कारपोरेशन एक्ट, 1974 में आवश्यक संशोधन के पश्चात् वर्ष 2008–09 के लेखे प्रस्तुत किये।

1	2	3	4	5	6
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2010–11	2011–12	16 सितम्बर 2013	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसम्बर 2013	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2010–11	2011–12	14 अगस्त 2014	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायी नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही मन्द पड़ जाती है। इस तथ्य को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने (फरवरी 2009) तथा महालेखाकार द्वारा नियमित रूप से अनुसरण करने के बावजूद, 30 सितम्बर 2014 तक 15 पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में प्रस्तुत होने के लिए लम्बित है। शासन को पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष त्वरित प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना चाहिये।

fofuos'k] futhdj.k ,oa ih,l;w dh iquZljpuk

1-35 राज्य सरकार द्वारा बनाई गई (जून 1994) निजीकरण/विनिवेश की नीति में ऐसे सभी उपक्रमों (सामाजिक एवं जनकल्याण गतिविधियों एवं जनसुविधाओं में संलिप्त को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी और जिनके नेट वर्थ का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण हो चुका हो, की समीक्षा किये जाने का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन (बीआईएफआर) को संदर्भित करने के प्रकरणों की समीक्षा एवं विनिश्चय करने हेतु एवं अन्य विकल्पों यथा आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देना आदि मामलों की समीक्षा व निर्णय हेतु एक अधिकार प्रदत्त समिति (ईसी) गठित की गई थी (दिसम्बर 1995)। ईसी की अनुशंसायें लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गईं। ईसी की अनुशंसा पर राज्य विनिवेश आयोग (डीसी) तथा केन्द्रीय समिति (सीसी) का गठन (जनवरी 2000) में किया गया। पीएसयू के कार्यसंचालन में सुधार, संविलियन, पुनर्गठन, निजीकरण या बन्दी से सम्बन्धित प्रकरणों को डीसी को संदर्भित करने का कार्य सीसी को सौंपा गया था। यह उद्देशित था कि डीसी अपनी अनुशंसायें सीसी को अग्रेषित करेगा।

राज्य के पीएसयू के विनिवेश हेतु अप्रैल 2003 में एक उच्च प्राधिकार विनिवेश समिति (एचपीडीसी) भी गठित की गई।

उत्तर प्रदेश में विनिवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने परामर्शदाता/सलाहकार, सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं हेतु विकासकर्ताओं तथा निजी भागीदारों के चयन के लिये दिशा–निर्देश निर्गत (जून 2007) किये थे। दिशा–निर्देशों में विभिन्न समितियों की संरचना किये जाने, विनिवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रमुख सलाहकार, कानूनी सलाहकार, लेखांकन सलाहकारों, सम्पत्ति मूल्याँकनकर्ताओं की नियुक्ति एवं कार्य बोली हेतु अपनायी जाने वाली क्रियाविधि और उपक्रम के मूल्याँकन की क्रियाविधियों का प्रावधान है। वर्ष 2010–11[25] के पश्चात् सरकार द्वारा कोई भी विनिवेश नहीं किया गया।

---

[25] वर्ष 2010–11 में उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड की 10 मिलों एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड के विनिवेश पर लेखा परीक्षा के अनुसन्धानों को 31 मार्च 2011 को खत्म हाने वाले वर्ष के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के स्टैण्ड एलोन रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया।